

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या -1391, 1392, 1393, 1394, 1395 एवं 1396/2014/जयपुर

सहायक आयुक्त,
वाणिज्यिक कर विभाग, प्रतिकरापवंचन,
जोन-प्रथम, जयपुर

.....अपीलार्थी

बनाम

मै0 ज्योति लेबोरेट्रीज लि0,
बी-201, महाराजा अपार्टमेंट, बनीपार्क, जयपुर

.....प्रत्यर्थी

खण्डपीठ

श्री बी.के.मीणा, अध्यक्ष
श्री ईश्वरी लाल वर्मा, सदस्य

उपस्थित : :

श्री रामकरण सिंह,
उप राजकीय अधिवक्ता
श्री एस.के.जैन,
अधिकृत अधिवक्ता

.....अपीलार्थी की ओर से

..... प्रत्यर्थी की ओर से

दिनांक : 01/09/2015

निर्णय

राजस्व द्वारा यह छः(6) अपीलें अपीलीय प्राधिकारी प्रथम, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा गया है) के क्रमशः अपील संख्या 21,22,23,24,25 एवं 250/अपी.प्रा.-1/आरवीएटी/जयपुर/2013-14 में पारित किये गये संयुक्तादेश दिनांक 24.01.2014 के विरुद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "वैट अधिनियम" कहा गया है) की धारा 85 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी हैं।

इन सभी अपीलों में विवादित बिन्दु एक समान होने तथा एक ही व्यवहारी फर्म से सम्बन्धित होने से इनका निष्पादन एक ही संयुक्त निर्णय से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर, पृथक-पृथक रखी जावेगी।

प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी प्रतिकरापवंचन, संभाग-प्रथम, जयपुर (जिसे आगे कर निर्धारण अधिकारी कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या 1391 से 1395/2014 में प्रत्यर्थी व्यवहारी फर्म के व्यवसाय स्थल का सर्वेक्षण दिनांक 30.08.2012 को प्रत्यर्थी कम्पनी के एरिया मैनेजर(बिजनेस मैनेजर) श्री सतीश एम. की उपस्थिति में तथा अपील संख्या 1396/2014 में सर्वेक्षण दिनांक 6.6.2013 को प्रत्यर्थी कम्पनी के अधिकृत प्रतिनिधि श्री गुरुनाम सिंह की उपस्थिति में किया गया। सर्वेक्षण पर पाया गया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा उजाला सुप्रीम (Ujala Supreme) का विक्रय राजस्थान वैट अधिनियम की अनुसूची चतुर्थ की प्रविष्टि संख्या 119 के तहत विक्रय किया, जाकर इस पर 4/5 प्रतिशत से वैट वसूल किया गया है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा माना गया



-3672 लगातार.....2

कि उजाला सुप्रीम (Ujala Supreme) में एसिड वॉयलेट पेस्ट भले ही हो किन्तु उजाला सुप्रीम (Ujala Supreme) के निर्मित करने की प्रक्रिया में उसके कंटेन्ट नहीं रहते हैं तथा यह एक भिन्न वस्तु फेब्रिक व्हाईटनर निर्मित हो जाती है जो कि अनुसूची प्रथम, तृतीय, चतुर्थ व षष्ठम के तहत कर योग्य माल नहीं है जो कि वैट अनुसूची पंचम के तहत यह 12.5/14 प्रतिशत से कर योग्य वस्तु है। कर निर्धारण अधिकारी ने उक्त वस्तु पर अधिनियम की अनुसूची पंचम के तहत कर योग्य होना निर्धारित करते हुए इस पर 8.5, 9 एवं 10 प्रतिशत की दर से प्रत्यर्थी व्यवहारी के विरुद्ध अंतर कर का आरोपण किया। आरोपित कर के अदत्त रहने के कारण अधिनियम की धारा 55 के तहत ब्याज का आरोपण किया, इसके अतिरिक्त प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा उक्त वस्तु पर करवंचना की है जिस पर अधिनियम की धारा 61 के तहत कर की दुगुनी शास्ति का आरोपण किया है। कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेशों के विरुद्ध प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा प्रथम अपील अपीलीय अधिकारी के समक्ष पेश करने पर, अपीलीय अधिकारी ने अपने संयुक्तादेश दिनांक 24.01.2014 द्वारा प्रत्यर्थी के विरुद्ध आरोपित मांग को अपास्त कर दिया। अपीलीय अधिकारी के उक्त संयुक्तादेश के विरुद्ध राजस्व (विभाग) द्वारा ये छः अपीलें पेश की गई हैं जिनका विवरण नीचे लिखी तालिकानुसार है :-

अपील सं०	क.नि. वर्ष	क.नि. आदेश	कर	ब्याज	शास्ति	कुल योग
1391/2014	2008-09	11.2.2013	43,32,98/-	22,53,151/-	86,65,966/-	1,52,52,100/-
1392/2014	2009-10	11.2.2013	50,87,279/-	20,34,913/-	1,01,74,558/-	1,72,96,750/-
1393/2014	2010-11	11.2.2013	49,53,415/-	13,86,956/-	99,06,829/-	1,62,47,200/-
1394/2014	2011-12	11.2.2013	53,77,420/-	8,60,390/-	1,07,54,840/-	1,69,92,650/-
1395/2014	2007-08	11.2.2013	36,26,348/-	23,20,863/-	72,52,696/-	1,31,99,906/-
1396/2014	2012-13	01.7.2013	44,91,199/-	4,49,120/-	89,82,398/-	1,39,22,717/-

अपीलार्थी (राजस्व) के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान कथन किया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा उजाला सुप्रीम (Ujala Supreme) का विक्रय किया गया है जो वैट अधिनियम की अनुसूची पंचम के तहत 12.5 /14 प्रतिशत से कर योग्य माल है। कर निर्धारण अधिकारी ने प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा बिक्रीत वस्तु को अधिनियम की अनुसूची पंचम के तहत कर देय होना निर्धारित करते हुए इसी अनुसार कर आरोपित किया है तथा इस पर ब्याज व शास्ति भी आरोपित की है जो विधिसम्मत है। अपीलीय अधिकारी ने प्रत्यर्थी के विरुद्ध आरोपित कर, ब्याज व शास्ति को अपास्त कर विधिक भूल की है। अतः उनका निवेदन था कि अपीलीय अधिकारी के आदेश को अपास्त कर, कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित मांग को यथावत रखते हुए, राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपीलें स्वीकार की जावे।

प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अधिकृत अधिवक्ता ने बहस के दौरान कथन किया कि उजाला सुप्रीम (Ujala Supreme) राजस्थान वैट अधिनियम की अनुसूची



चतुर्थ के पार्ट-बी की प्रविष्टि संख्या 119 "Synthetic Organic Colouring matter" के तहत इण्डस्ट्रीयल इनपुट की श्रेणी में आता है। उन्होंने राजस्थान वेट अधिनियम की अनुसूची चतुर्थ के पार्ट-बी की प्रविष्टि संख्या 119 को उद्धरित करते हुए कथन किया कि उजाला सुप्रीम (Ujala Supreme) उक्त प्रविष्टि से आच्छादित होने के कारण यह 4/5 प्रतिशत से कर योग्य वस्तु है। राजस्थान वेट अधिनियम, 2003 की वेट अनुसूची चतुर्थ के पार्ट-बी की प्रविष्टि संख्या 119 की तरफ ध्यान आकर्षित करते हुए कथन किया कि इसमें न केवल Synthetic Organic Colouring matter की प्रविष्टि है साथ ही preparations based on synthetic organic colouring matter भी शामिल है जिससे कि अपने आप में यह स्पष्ट हो जाता है कि उपरोक्त "Synthetic Organic Colouring matter" से यदि अन्य कोई preparation भी तैयार किया जाता है तो वह भी इस प्रविष्टि से आच्छादित होगा। उन्होंने केरल वेट एक्ट, 2003 की अनुसूची तृतीय संख्या 155(8)(डी) की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते हुए कथन किया कि राजस्थान वेट अधिनियम की प्रविष्टि एवं केरल वेट एक्ट की प्रविष्टि में अंतर है। केरल वेट एक्ट की प्रविष्टि में "preparations based on Synthetic Organic Colouring matter" अंकित नहीं है। इस प्रकार राजस्थान वेट अधिनियम की अनुसूची चतुर्थ पार्ट-बी की प्रविष्टि संख्या 119 व्यापक है। अतः केरल राज्य से संबंधित विवाद को यहाँ के प्रकरणों में लागू नहीं किया जा सकता है क्योंकि दोनों राज्यों की प्रविष्टियों में मूल अंतर है तथा राजस्थान राज्य की प्रविष्टि अधिक व्यापक है। उनका यह भी तर्क था कि कर निर्धारण अधिकारी जिन्हें कि उपरोक्त वाद वास्ते निर्धारण स्थानांतरित किये गये हैं, ने प्रत्यर्थी व्यवहारी को नोटिस जारी करते हुए यह हंकिता किया है कि प्रत्यर्थी द्वारा बिक्रीत माल जो उजाला सुप्रीम ब्रांड है, वेट अनुसूची IV पार्ट-बी की सूची क्रमांक 119 के तहत आच्छादित नहीं होती है बल्कि यह प्रविष्टि "Synthetic Organic Colouring matter" के लिए है न कि Laundry Whitener/Fabric Whitener है जो कि वेट अनुसूची V के तहत आच्छादित होने के कारण सामान्य कर दर से कर योग्य है। विद्वान अधिवक्ता ने यह भी तर्क किया कि उजाला सुप्रीम एसिड वॉयलेट पेस्ट है जो कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1998 के एच एस.एन. कोड 3204 12 94 में अधिसूचित है। उजाला सुप्रीम में केवल एक मात्र तत्व एसिड वॉयलेट पेस्ट है जो कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1985 के उक्त कोड के तहत वर्गीकृत है। उनका कथन था कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा उत्पाद शुल्क चुकी हुए एसिड वॉयलेट पेस्ट का क्रय किया जाता है जो कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम के कोड के तहत वर्गीकृत है। प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा एसिड वॉयलेट पेस्ट को पानी में मिलाया जाता है तथा इसे प्लास्टिक कंटेनर्स में पैक करके इसका उजाला ब्रांड नाम से विक्रय किया जाता है। इसके निर्माण में एसिड वॉयलेट पेस्ट के अतिरिक्त अन्य कोई घटक का मिश्रण नहीं किया जाता है। उजाला सुप्रीम के निर्माण के दौरान एसिड वॉयलेट को पानी में मिलाने से किसी अन्य भिन्न वस्तु का कोई विनिर्माण नहीं होता है। आगे



कथन किया कि ऐसिड वॉयलेट पेस्ट जो कि एचएसएन कोड के तहत वर्गीकृत है, एक सिंथेटिक ओर्गेनिक रंग है जो कि टैक्सटाईल मिल्स में कपड़ों में सफेदी लाने के काम आता है उक्त तथ्य की पुष्टि रंग द्रव्य तकनीकी विभाग, इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, यूनिवर्सिटी ऑफ बुम्बई के प्रोफेसर श्री वी.आर.कानेटकर की रिपोर्ट दिनांक 24.5.2006 व 30.8.2006 से होती है जिसमें बताया गया कि "the diluted acid blue/violet dyes are being used in the fabric finishing industries for imparting brightness (bluish/purple tint) to white fabrics" विद्वान अधिवक्ता ने माननीय गोहाटी उच्च न्यायालय की एकलपीठ द्वारा मैसर्स ज्योति लेबोरेट्रीज लि. बनाम स्टेट ऑफ आसाम के प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 15.3.2011 एवं उक्त न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा स्टेट ऑफ आसाम व अन्य बनाम मै. ज्योति लेबोरेट्रीज लि. गोहाटी, आसाम के प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 03.09.2012 उद्धरित करते कथन किया कि उक्त प्रकरणों से संबंधित वाद के तथ्य एवं विचाराधीन प्रकरणों के तथ्य समान हैं। अतः प्रत्यर्थी के प्रकरण उक्त निर्णयों से पूर्णतया आच्छादित होने के कारण कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश अविधिक होने से अपास्तनीय है। अपने तर्क के समर्थन में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित (1985) 21 ई.एल.टी. 3 इण्डियन एल्यूमिनियम केबल्स बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं माननीय मैसर्स रेकित बैंकाईजर (इण्डिया) बनाम कमिश्नर कॉमर्शियल टैक्सेज निर्णय दिनांक 29.04.2008 तथा (2008) 5 एस.टी.सी. 680 मोर्या अयिस्ट इण्डिया प्रा.लि. बनाम स्टेट ऑफ यूपी, माननीय गोहाटी उच्च न्यायालय द्वारा पारित मै0 ज्योति लेबोरेट्रीज लि0 बनाम स्टेट ऑफ आसाम एवं 23 वीएसटी 249, 90 एसटीसी 152, 87 एसटीसी 362, 117 एसटीसी 457, 93 एसटीसी 346, 45 एसटीसी 345, 19 टीयूडी 85, 25 टीयूडी 189, 43 वीएसटी 398 तथा 31 टीयूडी 82 आदि न्यायिक दृष्टान्तों को उद्धरित करते हुए, विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार करने एवं अपीलीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि करने का निवेदन किया।

हमने दोनों पक्षों की बहस सुनी, पत्रावलियों पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया तथा प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उद्धरित न्यायिक निर्णयों का ससम्मान अध्ययन किया गया। यह सही है कि उजाला सुप्रीम (Ujala Supreme) राजस्थान वेट अधिनियम की अनुसूची चतुर्थ के पार्ट-बी की प्रविष्टि संख्या 119 "Synthetic Organic Colouring matter" के तहत इण्डस्ट्रीयल इनपुट की श्रेणी में आता है। यह भी सही है कि राजस्थान वेट अधिनियम की अनुसूची चतुर्थ के पार्ट-बी की प्रविष्टि संख्या 119 को उजाला सुप्रीम (Ujala Supreme) उक्त प्रविष्टि से आच्छादित होने के कारण यह 4/5 प्रतिशत से कर योग्य वस्तु है। राजस्थान वेट अधिनियम, 2003 की वेट अनुसूची चतुर्थ के पार्ट-बी की प्रविष्टि संख्या 119 की तरफ प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अधिवक्ता ने हमारा ध्यान आकर्षित करते हुए कथन किया कि इसमें न केवल Synthtic Organic Colouring



matter की प्रविष्टि है साथ ही preparations based on synthetic organice colouring matter भी शामिल है जिससे कि अपने आप में यह स्पष्ट हो जाता है कि उपरोक्त "Synthetic Organic Colourinig matter" से यदि अन्य कोई preparation भी तैयार किया जाता है तो वह भी इस प्रविष्टि से आच्छादित होता है।। केरल वेट एक्ट,2003 की अनुसूची तृतीय संख्या 155(8)(डी) एवं राजस्थान वेट अधिनियम की प्रविष्टि एवं केरल वेट एक्ट की प्रविष्टि में अंतर है। केरल वेट एक्ट की प्रविष्टि में "preparations based on Synthetic Organic Colourinig matter" अंकित नहीं है। इस प्रकार राजस्थान वेट अधिनियम की अनुसूची चतुर्थ पार्ट-बी की प्रविष्टि संख्या 119 व्यापक है। कर निर्धारण अधिकारी ने प्रत्यर्थी व्यवहारी को नोटिस जारी करते हुए यह अंकित किया है कि प्रत्यर्थी द्वारा बिक्रीत माल जो उजाला सुप्रीम ब्रांड है, वेट अनुसूची IV पार्ट-बी की सूची क्रमांक 119 के तहत आच्छादित नहीं होती है बल्कि यह प्रविष्टि "Synthetic Organic Colourinig matter" के लिए है न कि Laundry Whitner/Fabric Whitener है जो कि वेट अनुसूची V के तहत आच्छादित होने के कारण सामान्य कर दर से कर योग्य है। यह सही है कि उजाला सुप्रीम ऐसिड वॉयलेट पेस्ट है जो कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम,1985 के एच एस.एन. कोड 3204 12 94 में अधिसूचित है। उजाला सुप्रीम में केवल एक मात्र तत्व ऐसिड वॉयलेट पेस्ट है जो कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम,1985 के के उक्त कोड के तहत वर्गीकृत है। प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा उत्पाद शुल्क चुकी हुए ऐसिड वॉयलेट पेस्ट का क्रय किया गया है जो कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम के कोड के तहत वर्गीकृत है। प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा ऐसिड वॉयलेट पेस्ट को पानी में मिलाया जाता है तथा इसे प्लास्टिक कंटेनर्स में पैक करके इसका उजाला ब्रांड नाम से विक्रय किया जाता है। इसके निर्माण में ऐसिड वॉयलेट पेस्ट के अतिरिक्त अन्य कोई घटक का मिश्रण नहीं किया जाता है। उजाला सुप्रीम के निर्माण के दौरान ऐसिड वॉयलेट को पानी में मिलाने से किसी अन्य भिन्न वस्तु का कोई विनिर्माण नहीं होता है। ऐसिड वॉयलेट पेस्ट जो कि एचएसएन कोड के तहत वर्गीकृत है, एक सिंथेटिक ओर्गेनिक रंग है जो कि टैक्सटाईल मिल्स में कपड़ों में सफेदी लाने के काम आता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मैसर्स रेकित बैंकाईजर (इण्डिया) बनाम कमिश्नर कॉमर्शियल टैक्सेज निर्णय दिनांक 29.04.2008 द्वारा स्पष्टतया निर्धारित किया गया है कि:- "-----In this case] we find that the High Court in the impugned judgment has failed to notice the Rules of Interpretation which require that in cases where HSN Code number is indicated against the Tariff Item mentioned in the Third Schedule,then one has to go by the provisons of the HSN as adopted by the Customs Tariff Act, 1975. If that is the case, then, one need to interpret the Entries in the Third Sechedule not only in the light of the Entries in the Customs Tariff Act, 1975 but also the judgments applicable to the corresponding Entries in the Customs Tariff Act....." Synthetic Organic Colourinig matter"




-262


लगातार.....6

इसी प्रकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित 23 वेट रिपोर्टर पेज 138 मै0 एम.पी.एजेन्सीज बनाम स्टेट ऑफ केरेला निर्णय दिनांक 18.03.2015 एवं माननीय गोहाटी उच्च न्यायालय की एकलपीठ द्वारा मैसर्स ज्योति लेबोरेट्रीज लि. बनाम स्टेट ऑफ आसाम के प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 15.3.2011 एवं उक्त न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा स्टेट ऑफ आसाम व अन्य बनाम मै. ज्योति लेबोरेट्रीज लि. गोहाटी, आसाम के प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 03.09.2012 इन प्रकरणों पर पूर्णतया लागू होते हैं। अतः प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उद्धरित न्यायिक दृष्टांत इन प्रकरणों पर लागू होने से प्रस्तुत अपीलें अस्वीकार किये जाने योग्य हैं।

फलतः विभाग द्वारा प्रस्तुत सभी छः अपीलें अस्वीकार की जाती हैं तथा अपीलीय अधिकारी के संयुक्तादेश दिनांक 24.01.2014 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।


(ईश्वरी लाल वर्मा)
सदस्य


(बी.के.मीणा)
अध्यक्ष